

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर प्रार्थना पत्र / 25 / 2018

तारीख रजु 12.10.2018

उनवान

कालीचरण पुत्र हरजीराम जाति मीना, वगैरह जाति मीना निवासी कटकड तहसील हिण्डौन  
जिला करौली

सायलान(08)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार हिण्डौन, वगैरह

गैरसायल(03)

उपस्थिति:-

सायल की ओर से :- श्री शांतिलाल करसौलिया एडवोकेट।  
गैरसायल की ओर से :- पैरोकार सरकार


निर्णय

दिनांक 21.01.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि सायलान की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत सीमा विवाद की पत्थरगुडी करने के संबंध में पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिए नोटिस तलब किया।

पैरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन ने अपने जबाब में वादग्रस्त खसरा नंबर 4379 का सीमाज्ञान कराकर मौके पर पत्थरगुडी कर दी गई है। रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी को वांछित अनुतोष तहसीलदार हिण्डौन ने प्रदान कर दिया गया है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
(सुरेश कुमार यादव )  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन

